न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः 20-11-2023

अपील संख्या 93/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/198)

1. अनाड़सिंह पुत्र पूरसिंह जाति राजपूत निवासी आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23—02—1988
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी , .अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 23—02—1988 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर अपीलांट् को दिनांक 18–03–1976 को 19 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया तथा दिनांक 30–03–1976 को अपीलांट को चक 37 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 141/45 व मुरब्बा नम्बर 141/39 में 19 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–12–1979 को अपीलांट् का आवंटन कब्जे के अभाव में निरस्त कर दिया गया। कालान्तर में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–03–1985 को अपीलांट् के उक्त आवंटन को पुनः बहाल कर दिया गया, परन्तु उक्त भूमि अन्य व्यक्ति पुखाराम पुत्र पेंपाराम को आवंटन होने के कारण अपीलांट् का आवंटन डबल आवंटन मानकर पुनः आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 23–02–1988 को चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 201/26 में 18 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 201/18 में 25 बीघा भूमि का पुनः आवंटन किया गया। अपीलांट् को बतौर डबल आवंटन मानकर की गई उक्त भूमि का आवंटन भी पूर्व से ही अन्य व्यक्ति राममूर्ति पुत्र हरिसिंह व वेदप्रकाश पुत्र अमरसिंह को आवंटित होने के उक्त भूमि का कब्जा भी अपीलांट् को प्राप्त नहीं हुआ नाही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–02–1988 के विरूद्व अपील दिनांक 06–06–2022 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को दिनांक 23–02–1988 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति आदि को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–02–1988 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 06–06–2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 37 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 141/45 व मुरब्बा नम्बर 141/39 में 19 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया, उक्त आवंटन दिनांक 22—12—1979 को कब्जे के अभाव में निरस्त कर दिया गया तथा दिनांक 18—03—1985 को अपीलांट् के उक्त आवंटन को पुनः बहाल कर दिया गया, उक्त अवधि के दौरान अपीलांट् को आवंटित भूमि अन्य व्यक्ति पुखाराम पुत्र पेंपाराम को आवंटन होने के कारण अपीलांट् का आवंटन डबल आवंटन मानकर पुनः आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 23—02—1988 को अपीलांट् को चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 201/26 में 18 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 201/18 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। परन्तु उक्त भूमि भी पूर्व से ही अन्य व्यक्ति राममूर्ति पुत्र हरिसिंह व वेदप्रकाश पुत्र अमरसिंह को आवंटित भूमि थी।

(2) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(3) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(4) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधान कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट्स को नहीं दिया जा सकता।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(5) प्रकरण में अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट् के पति/पिता का आवंटन खारिज करते हुए उसे अन्यत्र भूमि प्रदान की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट् के आवंटन खारिज किया गया व न ही अन्यत्र भूमि प्रदान की गई है। अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं किये जाने के फलस्वरूप ही अपीलांट् को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ी है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को दो बार ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के कारण अपीलांट् भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–02–1988 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट् को नियमानुसार उसकी आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए पात्रता के अनुसार भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20/11/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर